आदेश द्वारा प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या : 770/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

एच. डी. एफ. सी. बैंक लि., बैंक हाउस, सेनापति बापट मार्ग लोअर परेल (पश्चिम) मुम्बई।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. Morani Cars Pvt. Ltd.,
पता:– 14, बजाज नगर एनक्लेव, गांधी नगर रेलवे स्टेशन के सामने, बजाज नगर, जयपुर
एवं सीताबाड़ी के सामने शोरूम, टोंक रोड़, जयपुर
एवं वर्कशॉप 2152, इण्डस्ट्रियल एरिया, रामचन्द्रपुरा, पूर्णिमा विश्वविद्यालय के पास, सीतापुरा इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर।

2. श्री एल. सी. मोरानी पुत्र श्री नानक राम मोरानी, मैनेजिंग डायरेक्टर, Morani Cars Pvt. Ltd,
पता:– 14, बजाज नगर एनक्लेव, गांधी नगर रेलवे स्टेशन के सामने, बजाज नगर, जयपुर
एवं सीताबाड़ी के सामने शोरूम, टोंक रोड़, जयपुर।

3. श्री जवाहर मोरानी पुत्र श्री नानक राम मोरानी, डायरेक्टर, Morani Cars Pvt. Ltd,
पता:– 104, गुरु जांभेश्वर नगर ई, किंग्स रोड़, वैशाली नगर, जयपुर
एवं ए–34, कीर्ति नगर, टोंक रोड़, जयपुर
एवं सीताबाड़ी के सामने, टोंक रोड़, जयपुर।

4. श्रीमती रेशमा मोरानी पत्नी श्री डॉ. एल. सी. मोरानी, डायरेक्टर Morani Cars Pvt. Ltd,

5. सुश्री अक्षिता मोरानी पुत्री श्री डॉ. एल. सी. मोरानी, डायरेक्टर Morani Motocorp Pvt. Ltd,
पता:– 14, बजाज नगर एनक्लेव, गांधी नगर रेलवे स्टेशन के सामने, बजाज नगर, जयपुर
एवं सीताबाड़ी के सामने, टोंक रोड़, जयपुर।

6. Morani Motors Pvt. Ltd,
पता:– सीताबाड़ी के सामने, टोंक रोड़, जयपुर
एवं ए–34, कीर्ति नगर, टोंक रोड़, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002.

उपस्थित:–

1. श्रीमती अलिशा चौपड़ा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

दिनांक: 09.01.2024

आदेश

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री लाल चंद मोरानी के स्वामित्त्व की संपत्ति शॉप नं. 624, बोहरा जी का बाग, टोंक रोड, जयपुर, क्षेत्रफल 47.66 वर्गगज को बन्धक रख कर दिनांक 03.11.2007 एवं तत्पश्चात् दिनांक 07.06.2019 तक कुल राशि 20,50,00,000/– रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 15.01.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 20,50,00,000/– रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 13,71,82,710.28/– रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 15.01.2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा–14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री लाल चंद मोरानी के स्वामित्त्व की बंधक संपत्ति शॉप नं. 624, बोहरा जी का बाग, टोंक रोड़, जयपुर, क्षेत्रफल 47.66 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

6. आदेश आज दिनांक 09.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner